[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 22/2021-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 **जून, 2021**

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, माह जून, 2021 से**, प्ररूप जीएसटीआर-7** में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए**,** उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो कि पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है का अधित्यजन करती है:

परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस कि राशि को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, माह जून, 2021 से, नियत तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-7** में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए**,** जो एक हजार रुपये से अधिक है का अधित्यजन किया जाता है ।

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार